

कार्यालय
प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं
चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

सं०- 2248/पी०एस०(चि०स्वा०)/2024
लखनऊ दिनांक 05 अगस्त, 2024

सेवा में,

समस्त सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी चिकित्सालय,
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उ०प्र०।

महोदय,

जैसा की आप सभी अवगत ही हैं कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में डिजिटलीकरण को लागू किये जाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत गणराज्य के कर-कमलों द्वारा माह सितम्बर, 2021 में "आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन" (ए०बी०डी०एम०) का शुभारम्भ किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा शासनादेश सं० D.O. No. S-12019/128/2021-NDHM, 31st May, 2021, के क्रम में "आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन" (ए०बी०डी०एम०) का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा पूरे भारत वर्ष में किया जा रहा है और उक्त मिशन का क्रियान्वयन उ०प्र० राज्य में भी किया जा रहा है। "आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन" (ए०बी०डी०एम०) का उद्देश्य देश में एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना को सहयोग प्रदान करने के लिए आवश्यक ईको-सिस्टम विकसित करना है। इसमें डिजिटल-हाईवेज के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सम्बन्धी ईको-सिस्टम के विभिन्न हित धारकों के मध्य विद्यमान विसंगतियों का निवारण होगा। शासनादेश सं० D.O. No. S-12019/122/2021-NDHM, 13 July, 2022, Adoption of ABDM compliant HMIS के क्रम में वर्तमान में प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न मण्डलीय/जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि तथा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत आने वाले मेडिकल कॉलेज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत क्रियाशील हैं। भारत वर्ष के प्रत्येक नागरिकों का आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउंट (आभा) का निर्माण किया जा रहा है जो कि एक राष्ट्रीय पहचान संख्या है और आधार की तरह पूरे भारत वर्ष में यूनीक होगा। आभा आधारित पंजीकरण हेतु हास्पिटल मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम (एच०एम०आई०एस०) के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना है। जिससे मरीजों के डिजिटल हेल्थ रिकार्ड का निर्माण किया जा सके जिसे मरीज अपनी सहमति से उपयोग कर सकें।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मुख्य उद्देश्य योजना अन्तर्गत सूचीबद्ध समस्त सरकारी एवं निजी चिकित्सालय में योजना से आच्छादित प्रदेश के कार्डधारक परिवारों को प्रतिवर्ष-प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की सेकेण्डरी, टर्शियरी एवं गम्भीर बीमारियों के निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान करना है। उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाओं एवं रिकॉर्ड्स का विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के मध्य ए०बी०डी०एम० ईको-सिस्टम के द्वारा सहमति के आधार पर सुरक्षित रूप से आदान प्रदान किये जाने से सुलभ एवं सटीक इलाज संभव हो सकेगा है।

आपको अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रदेश में आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउंट (आभा) के सृजन के साथ ही साथ चिकित्सालयों का हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन (HFR) किया जा रहा है एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत समस्त स्वास्थ्य कर्मियों का भी हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन (HPR) भी किया जा रहा है तथा साथ ही साथ चिकित्सालयों में हास्पिटल मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम (HMIS) के द्वारा डिजिटल हेल्थ रिकार्ड भी बनाया जा रहा है।

उपरोक्त के क्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्र संख्या D.O.No. S-12021/151/2023-ABDM (Coord) Dated- 31st May 2023 के द्वारा निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंगीकरण हेतु 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया और वर्तमान में प्रदेश के 35 जनपदों (संलग्नक) में माइक्रोसाइट की गतिविधियां संपादित की जा रही हैं। माइक्रोसाइट की गतिविधियां को संपादित किए जाने हेतु जनपदों में इंटरफेसिंग एजेंसी हिंदुस्तान लैटेक्स फैमिली प्लानिंग प्राइवेट लिमिटेड (एच0एम0आई0एस0) एवं डॉक्टरस् फॉर यू (डी0एफ0वाई0) के प्रतिनिधि (जनपदवार विवरण संलग्न) और इंटरफेसिंग एजेंसी के सहायता हेतु डेवलपमेंट पार्टनर (पाथ संस्था, डब्ल्यूजेसीएफ, पिरामल हेल्थकेयर, एवं आईआईसी) के प्रतिनिधि भी जनपदों में कार्य कर रहे हैं।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े चिकित्सालयों को शासन के पत्र दिनांक 01.12.2022 एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 09.02.2023 के द्वारा समस्त पंजीकृत चिकित्सालयों का हेल्थ फैसलिटी का पंजीकरण करते हुए कार्यरत समस्त चिकित्सकों का हेल्थ प्रोफेशनल पंजीकरण (फोटोयुक्त एचपीआर सर्टिफिकेट) अनिवार्य किया गया है तथा मरीजों को उनके हेल्थ रिकार्ड डिजिटल माध्यम में उपलब्ध किया जाना है जिसे मरीज अपनी सुविधानुसार सहमति के आधार पर शेयर कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकार्ड बनाए जाने हेतु आवश्यक है कि चिकित्सालय में एच0एम0आई0एस0 क्रियाशील हो तथा उसमें आभा आधारित पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध हो।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंगीकृत एच0एम0आई0एस0 का प्रयोग किए जाने से चिकित्सालयों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों एवं हेल्थ प्रोफेशनल को निम्नवत् लाभ होंगे-

- आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउन्ट (आभा) आधारित हेल्थ रिकार्ड के बनाए जाने से मरीजों को उनका स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ रिकार्ड उनके पास डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा, जो मरीज अपनी सुविधानुसार और सहमति के आधार पर अपने चिकित्सक से साझा कर सकते हैं।
- आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउन्ट (आभा) आधारित इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकार्ड को मरीज लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं एवं इसके खोने अथवा फटने का खतरा नहीं रहता है।
- आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउन्ट (आभा) आधारित हेल्थ रिकार्ड के बनाए जाने पर हेल्थ इनफॉर्मेशन एक्सचेंज के द्वारा चिकित्सक, चिकित्सालय में मरीजों के पूर्व रिकार्डों को जो कि उनके चिकित्सालय के नहीं है। उनको भी मरीज की सहमति से देख सकेंगे।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कम्प्लायन्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (एच0एम0आई0एस0) से तात्पर्य है कि उक्त एच0एम0आई0एस0 द्वारा आभा आधारित पंजीकरण (M1), आभा से रिकार्ड को जोड़ने (M2) एवं आभा से जुड़े रिकार्ड (M3) को देखने की सुविधा होना है।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कम्प्लायन्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (एच0एम0आई0एस0) स्वास्थ्य केंद्रों (चिकित्सालय, क्लिनिक, नर्सिंग होम, चिकित्सा संस्थान इत्यादि) में आसानी से एवं कुशलतापूर्वक विभिन्न रिपोर्टों का निर्माण, विश्लेषण और आर्टीफीसियल इंटेलीजेंस की मदद से एवं पूर्व के रिकार्ड के आधार पर बीमारी की बेहतर पहचान एवं सही उपचार उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करेगा।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कम्प्लायन्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (एच0एम0आई0एस0) से मरीजों के रिकार्ड की सुलभ एवं शीघ्र उपलब्धता तथा मरीजों को सुलभ एवं सुगम उपचार प्रदान करेगी।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कम्प्लायन्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (एच0एम0आई0एस0) से मरीजों का बेहतर रिकार्ड प्रबंधन, सही डायग्नोसिस, सुलभ एवं शीघ्र उपचार तथा मरीजों में ज्यादा संतुष्टि एवं स्वास्थ्य केंद्र पर ज्यादा भरोसा प्रदान करेगा।

- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कम्प्लायन्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (एच0एम0आई0एस0) से स्वास्थ्य संबंधी डेटा का बेहतर प्रबंधन, मरीजों के स्वास्थ्य रिकार्ड को व्यवस्थित रूप से रखने एवं आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करेगा।
 - आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कम्प्लायन्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (एच0एम0आई0एस0) से स्वास्थ्य केन्द्रों (चिकित्सालय, क्लिनिक, नर्सिंग होम, चिकित्सा संस्थान इत्यादि) में कार्यरत कर्मियों से संबंधित सूचनाओं एवं उनके द्वारा संपादित कार्यों का बेहतर मूल्यांकन कराने में सहयोग प्रदान करेगा।
 - आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कम्प्लायन्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (एच0एम0आई0एस0) स्वास्थ्य केन्द्रों (चिकित्सालय, क्लिनिक, नर्सिंग होम, चिकित्सा संस्थान इत्यादि) पर पैसों के लेन-देन का स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सुरक्षित रूप से प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण में सहयोग प्रदान करेगा।
 - आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कम्प्लायन्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (एच0एम0आई0एस0) चिकित्सालय के सुचारु संचालन हेतु चिकित्सालय के लिए आवश्यक संसाधन की मांग का सुलभ आंगडन, संसाधन के सप्लाय की ट्रैकिंग एवं समय पर संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करना।
 - डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम के तहत स्वास्थ्य केन्द्रों (चिकित्सालय, क्लिनिक, नर्सिंग होम, चिकित्सा संस्थान इत्यादि) को यदि वेबसाइट www.abdm.gov.in के सैंड बॉक्स में पंजीकरण करने के बाद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कम्प्लायन्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (एच0एम0आई0एस0) पर आभा आधारित स्कैन और शेयर मॉड्यूल के द्वारा पंजीकरण करते हैं तो ऐसे स्वास्थ्य केंद्र को प्रतिमाह 100 टोकन के बाद प्रति टोकन 20 रुपये मिलेंगे तथा इसी प्रकार आभा से रिकार्ड जोड़ने पर भी प्रतिमाह 100 रिकार्ड के बाद प्रति रिकार्ड 20 रुपये मिलेंगे परंतु इंसेंटिव के राशि की गणना हेतु एक आभा से एक दिन में जुड़े समस्त हेल्थ रिकार्ड अथवा टोकन को कुल एक बार तथा माह में कुल 5 बार ही शामिल किया जाएगा।
 - यदि किसी निजी चिकित्सालय में अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (एच0एम0आई0एस0) है और चिकित्सालय उक्त एच0एम0आई0एस0 के उपयोग को जारी रखना चाहता है तो ऐसे चिकित्सालय के निम्नलिखित में से किसी भी विकल्प का चुनाव करते हुए एच0एम0आई0एस0 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कम्प्लायन्ट कर सकते हैं परंतु चिकित्सालय में आई0टी0 टीम का होना आवश्यक है—
- 1-राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एवं गूगल द्वारा विकसित कनेक्टर का उपयोग कर शीघ्रता से चिकित्सालय में क्रियाशील एच0एम0आई0एस0 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कम्प्लायन्ट किया जा सकता है।
 - 2-निजी क्षेत्र द्वारा विकसित कनेक्टर का उपयोग कर शीघ्रता से चिकित्सालय में क्रियाशील एच0एम0आई0एस0 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कम्प्लायन्ट किया जा सकता है।
 - 3-सैंड बॉक्स इंटीग्रेशन के द्वारा चिकित्सालय में क्रियाशील एच0एम0आई0एस0 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कम्प्लायन्ट (M1 to M3 इंटीग्रेशन) कर सकते हैं, परंतु इस प्रक्रिया में कुछ समय लगने के संभावना है।
- ऐसे चिकित्सालय जिनमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (एच0एम0आई0एस0) अभी क्रियाशील नहीं है। ऐसे चिकित्सालय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के वेबसाइट www.abdm.gov.in पर जाकर अपनी आवश्यकतानुसार आयुष्मान भारत मिशन कम्प्लायन्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (एच0एम0आई0एस0) का चुनाव कर सकते हैं जिनकी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। कुछ हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (एच0एम0आई0एस0) वर्तमान में बिना शुल्क के भी उपलब्ध है और ऐसे जनपद जिनमें माइक्रोसाइट क्रियाशील हैं वहां सहयोग हेतु इन्टरफेसिंग एजेंसी एवं डेवलपमेंट पार्टनर के प्रतिनिधि कार्यरत हैं।

उक्त के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश वेबसाइट www.abdm.gov.in पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की चिकित्सालय/जनपद/प्रदेश अथवा राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति को भी इसी वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

अतः आप सभी संस्थानों से अपेक्षा है कि भारत सरकार की प्राथमिकता वाले आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की योजना को लागू करने एवं प्रदेश के आमजन को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएँ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अपने चिकित्सालयों को आगामी 6 माह में HMIS Compliant बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
संलग्नक-यथोक्त।

भारतीय,
(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रमुख सचिव

सं०- / पी०एस०(चि०स्वा०) / 2024 /

तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/एम०डी०, ए०बी०डी०एम०।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रमुख सचिव